BIHAR EXAMS WALLAH

हिंदी माध्यम

बिहार सामान्य ज्ञान

बिहार सरकार

- बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा
- बीपीएससी बिहार शिक्षक
- बीएसएससी सीजीएल
- बीएसएससी इंटर लेवल
- उच्च न्यायालय सहायक/क्लर्क व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ

- बिहार जीके का व्यापक कवरेज
- नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित
- बुलेट पॉइंट और सारणीबद्ध व्याख्या
- टॉपिक वाइज MCQs

बिहार जीत

विषयसूची

क्र.सं.	प्रकरण	पेज सं.
खंड I: प्रस्तावना		
1.	बिहार: एक नज़र में	1
खंड II: बिहार का इतिहास		
	बिहार का प्राचीन इतिहास	
1.	बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत	5
2.	छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार: महाजनपद	7
3.	पूर्व-मौर्य काल के दौरान बिहार	10
4.	मौर्य काल	12
5.	बिहार में मौर्योत्तर काल	14
6.	गुप्त साम्राज्य	15
	बिहार का मध्यकालीन इतिहास	
1.	बिहार में मध्यकालीन इतिहास के स्रोत	16
2.	बिहार में पूर्व मध्यकाल	18
3.	मध्यकालीन बिहार [11वीं-16वीं शताब्दी]	19
	बिहार का आधुनिक इतिहास	
1.	बिहार में यूरोपीय	25
2.	बिहार के आदिवासी विद्रोह	27
3.	1857 का विद्रोह	30
4.	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका	32
5.	बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास	37
खंड III: बिहार का भूगोल		
1.	बिहार की भौगोलिक संरचना	39
2.	बिहार की जलवायु और मिट्टी	43
3.	बिहार में अपवाह तंत्र	46
4.	पर्यावरण और वन	52
5.	बिहार के खनिज संसाधन	55
6.	बिहार: जनगणना 2011 और जाति सर्वेक्षण 2023	57
7.	बिहार की जनजातियाँ	60
8.	बिहार के जीआई टैग	61
9.	बिहार: संभाग और जिला प्रोफ़ाइल	64

खंड IV: बिहार राजनीति		
1.	बिहार कार्यकारिणी	75
2.	बिहार विधानमंडल	80
3.	बिहार में संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकाय	81
4.	बिहार न्यायपालिका	83
5.	बिहार में पंचायती राज व्यवस्था	88
खंड V: बिहार अर्थव्यवस्था		
1.	बिहार अर्थव्यवस्था	91
2.	बिहार में कृषि और संबद्ध क्षेत्र : बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका	94
3.	बिहार में उद्योग	97
4.	बिहार में बुनियादी ढांचा	97
5.	बैंकिंग और संबद्ध क्षेत्र	100
6.	बिहार में ग्रामीण विकास	101
7.	बिहार में नगरीय विकास	102
8.	समाज कल्याण	102
9.	बाल विकास	107
खंड VI: विविध		113

4

खंड IV: बिहार राजनीति

अध्याय 1: बिहार कार्यकारिणी

राज्य कार्यकारिणी

- भारतीय संविधान के भाग VI **में अनुच्छेद 153-167** राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं।
- राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं।

गवर्नर

- भारतीय संविधान में राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में एक राज्य के राज्यपाल के कार्यालय की परिकल्पना की गई है। नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख होने के बावजूद, एक राज्य का राज्यपाल अपनी विभिन्न कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों के माध्यम से राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बिहार के राज्यपाल

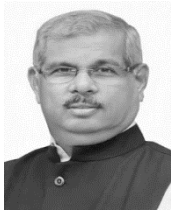

बिहार का राज्यपाल बिहार राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और भारत के संविधान में परिभाषित शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालयों के पदेन कुलपति भी हैं।

राजेंद्र अर्लेकर:

- राजेंद्र अर्लेकर बिहार के **वर्तमान और 41 वें राज्यपाल हैं।**
- इससे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 21 वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया, वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले गोवा के पहले व्यक्ति थे।
- वह गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री और गोवा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष थे। वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।

- **जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद** बिहार के दो ऐसे राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने।
- **श्री जयरामदास दौलतराम को** भारत की स्वतंत्रता के बाद **बिहार के पहले राज्यपाल** के रूप में नियुक्त किया गया था।

भारत की स्वतंत्रता से पहले, जेम्स सिफ्टन 01 अप्रैल 1936 को नियुक्त बिहार के पहले राज्यपाल थे।

Governors of Bihar

मंत्रिपरिषद:

किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सरकारी अधिकारियों का एक निकाय है, जो राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की सहायता करती है उन्हें और सलाह देती है।

गठन और संरचना

- **मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में:** मंत्रिपरिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है, जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- **संरचना:** इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं।

राज्यपाल	कब से	कब तक
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर	14 फरवरी 2023	पदधारी
फागु चौहान	29 जुलाई 2019	13 फ़रवरी 2023
लालजी टंडन	23 अगस्त 2018[6]	28 जुलाई 2019
सत्यपाल मलिक	30 सितंबर 2017[5]	23 अगस्त 2018
केशरी नाथ त्रिपाठी (अतिरिक्त प्रभार)	20 जून 2017[4]	29 सितंबर 2017
राम नाथ कोविन्द	16 अगस्त 2015	20 जून 2017
केशरी नाथ त्रिपाठी (अतिरिक्त प्रभार)	27 नवंबर 2014	15 अगस्त 2015
डीवाई पाटिल	22 मार्च 2013	26 नवंबर 2014
देवानंद कोंवर	29 जून 2009	मार्च 21, 2013
आरएल भाटिया	10 जुलाई 2008	28 जून 2009
आरएस गवई	22 जून 2006	9 जुलाई 2008
गोपालकृष्ण गांधी	31 जनवरी 2006	21 जून 2006
बूटा सिंह	5 नवंबर 2004	29 जनवरी 2006
वेद प्रकाश मारवाह (अभिनय)	1 नवंबर 2004	4 नवंबर 2004
एमआर जोइस	12 जून 2003	31 अक्टूबर 2004
वीसी पांडे	23 नवंबर 1999	12 जून 2003
सूरजभान (अतिरिक्त प्रभार)	6 अक्टूबर 1999	22 नवंबर 1999
न्यायमूर्ति बीएम लाल (अभिनय)	15 मार्च 1999	5 अक्टूबर 1999
सुंदर सिंह भंडारी	27 अप्रैल 1998	15 मार्च 1999
अखलाकुर रहमान किदवई	14 अगस्त 1993	26 अप्रैल 1998
मोहम्मद शफ़ी क़ुरैशी	19 मार्च 1991	13 अगस्त 1993
बी सत्य नारायण रेड्डी (अभिनय)	14 फरवरी 1991	18 मार्च 1991
मोहम्मद सलीम	16 फरवरी 1990	13 फ़रवरी 1991
न्यायमूर्ति जीजी सोहोनी (अभिनय)	2 फरवरी 1990	16 फ़रवरी 1990
-जगन्नाथ पहाड़िया	3 मार्च 1989	2 फ़रवरी 1990

आरडी प्रधान	29 जनवरी 1989	2 फ़रवरी 1989
न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन (अभिनय)	24 जनवरी 1989	28 जनवरी 1989
गोविंद नारायण सिंह	26 फरवरी 1988	24 जनवरी 1989
पी. वेंकटसुब्बैया	15 मार्च 1985	25 फ़रवरी 1988
अखलाकुर रहमान किदवई	20 सितंबर 1979	15 मार्च 1985
न्यायमूर्ति केबीएन सिंह (अभिनय)	31 जनवरी 1979	19 सितम्बर 1979
-जगन्नाथ कौशल	16 जून 1976	31 जनवरी, 1979
रामचन्द्र धोंडीबा भंडारे	4 फरवरी 1973	15 जून 1976
देव कांत बरुआ	1 फरवरी 1971	4 फ़रवरी 1973
न्यायमूर्ति यूएन सिन्हा (अभिनय)	21 जनवरी 1971	31 जनवरी 1971
नित्यानंद कानूनगो	7 दिसंबर 1967	20 जनवरी 1971
एमए अय्यंगार	12 मई 1962	6 दिसंबर 1967
जाकिर हुसैन	6 जुलाई 1957	11 मई, 1962
आरआर दिवाकर	15 जून 1952	5 जुलाई 1957
माधव श्रीहरि अणे	12 जनवरी 1948	14 जून 1952
-जयरामदास दौलतराम	15 अगस्त 1947	11 जनवरी, 1948
सर ह्यूग डाउ	13 मई 1946	14 अगस्त, 1947
सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड	24 अप्रैल 1944	12 मई, 1946
सर फ्रांसिस मुडी (अभिनय)	7 सितंबर 1943	23 अप्रैल 1944
सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड	3 फरवरी 1943	6 सितंबर, 1943

सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट	6 अगस्त 1939	2 फ़रवरी 1943
सर मौरिस गार्नियर हैलेट	17 सितंबर 1938	5 अगस्त, 1939
सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट (अभिनय)	15 मई 1938	16 सितम्बर 1938
सर मौरिस गार्नियर हैलेट	11 मार्च 1937	15 मई, 1938
सर जेम्स डेविड सिफ्टन	1 अप्रैल 1936	10 मार्च, 1937

बिहार के मुख्यमंत्री

नाम	पदभार ग्रहण किया	पद छोड़ा
श्री कृष्ण सिंह	2 अप्रैल, 1946	31 जनवरी, 1961
दीप नारायण सिंह	1 फरवरी, 1961	18 फरवरी, 1961
बिनोदानंद झा	18 फरवरी, 1961	2 अक्टूबर, 1963
केबी सहाय	2 अक्टूबर, 1963	5 मार्च, 1967
महामाया प्रसाद सिन्हा	5 मार्च, 1967	28 जनवरी, 1968
सतीश प्रसाद सिंह	28 जनवरी, 1968	1 फरवरी, 1968
बी पी मंडल	1 फरवरी, 1968	22 मार्च, 1968
भोला पासवान शास्त्री	22 मार्च, 1968	29 जून, 1968
रिक्त (राष्ट्रपति शासन)	**29 जून, 1968**	**26 फरवरी, 1969**
हरिहर सिंह	26 फरवरी, 1969	22 जून, 1969
भोला पासवान शास्त्री	22 जून, 1969	4 जुलाई, 1969
रिक्त (राष्ट्रपति शासन)	**9 जनवरी, 1972**	**19 मार्च, 1972**
दरोगा प्रसाद राय	16 फरवरी 1970	22 दिसम्बर 1970
कर्पूरी ठाकुर	22 दिसम्बर 1970	2 जून, 1971
भोला पासवान शास्त्री	2 जून, 1971	9 जनवरी 1972
रिक्त (राष्ट्रपति शासन)	**9 जनवरी 1972**	**19 मार्च, 1972**
केदार पांडे	19 मार्च, 1972	2 जुलाई 1973
अब्दुल गफूर	2 जुलाई 1973	11 अप्रैल, 1975
जगन्नाथ मिश्रा	11 अप्रैल, 1975	30 अप्रैल, 1977
रिक्त (राष्ट्रपति शासन)	**30 अप्रैल, 1977**	**24 जून, 1977**
कर्पूरी ठाकुर	24 जून, 1977	21 अप्रैल, 1979
राम सुंदर दास	21 अप्रैल, 1979	17 फरवरी, 1980
जगन्नाथ मिश्रा	8 जून, 1980	14 अगस्त, 1983
चंद्रशेखर सिंह	14 अगस्त, 1983	12 मार्च, 1985
बिंदेश्वरी दुबे	12 मार्च, 1985	13 फरवरी, 1988
भगवत झा आजाद	14 फरवरी, 1988	10 मार्च, 1989
सत्येंद्र नारायण सिन्हा	11 मार्च, 1989	6 दिसंबर, 1989

जगन्नाथ मिश्रा	6 दिसंबर, 1989	10 मार्च, 1990
लालू प्रसाद यादव	10 मार्च, 1990	31 मार्च, 1995
रिक्त (राष्ट्रपति शासन)	**31 मार्च, 1995**	**4 अप्रैल, 1995**
लालू प्रसाद यादव	4 अप्रैल, 1995	25 जुलाई, 1997
राबड़ी देवी	25 जुलाई, 1997	12 फरवरी, 1999
रिक्त (राष्ट्रपति शासन)	**12 फरवरी, 1999**	**9 मार्च, 1999**
राबड़ी देवी	9 मार्च, 1999	2 मार्च, 2000
नीतीश कुमार	3 मार्च, 2000	11 मार्च, 2000
राबड़ी देवी	11 मार्च, 2000	6 मार्च, 2005
रिक्त (राष्ट्रपति शासन)	**7 मार्च, 2005**	**24 नवंबर, 2005**
नीतीश कुमार	24 नवंबर, 2005	20 मई, 2014
जीतन राम मांझी	20 मई, 2014	22 फरवरी, 2015
नीतीश कुमार	22 फरवरी, 2015	19 नवंबर, 2015
नीतीश कुमार (जनता दल यूनाइटेड)	20 नवंबर, 2015	16 नवंबर, 2020
नीतीश कुमार (जनता दल यूनाइटेड)	16 नवंबर, 2020	09 अगस्त, 2022
नीतीश कुमार (जनता दल यूनाइटेड)	अगस्त 10, 2022	28 जनवरी, 2024
नीतीश कुमार (जनता दल यूनाइटेड)	28 जनवरी, 2024	वर्तमान समय में पदस्थ

बिहार में राष्ट्रपति शासन

राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 356** के तहत लगाया जाता है, जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है। इससे केंद्र सरकार राज्य के शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है।

बिहार में राष्ट्रपति शासन:

अवसर	मियाद	कारण	गवर्नर
पहला	29 जून, 1968 - 26 फरवरी, 1969	विधायकों के दलबदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता	नित्यानंद कानूनगो
दूसरा	4 जुलाई, 1969 - 16 फरवरी, 1970	विधायकों के दलबदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता	नित्यानंद कानूनगो
तीसरा	9 जनवरी, 1972 - 19 मार्च, 1972	विधायकों के दलबदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता	देव कांत बरुआ
चौथा	अप्रैल 30, 1977 - जून 24, 1977	राजनीतिक अस्थिरता	जगन्नाथ कौशल
पाँचवाँ	17 फरवरी, 1980 - 8 जून, 1980	राजनीतिक अस्थिरता	ए आर किदवई
छठा	मार्च 28, 1995 - अप्रैल 5, 1995	विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार और संसद द्वारा लेखानुदान की सुविधा	ए आर किदवई
सातवाँ	12 फरवरी, 1999 - 9 मार्च, 1999	कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ना, नारायणपुर में कानून व्यवस्था का चरमराना, 11 दलितों की हत्या	राम सुंदर भंडारी
आठवाँ	मार्च 7, 2005 - नवंबर 24, 2005	अनिर्णायक विधानसभा चुनाव परिणाम, सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत नहीं	बूटा सिंह

बिहार में, राष्ट्रपति शासन **पहली बार 29 जून 1968 को लगाया** गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक चला। यह राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। इस दौरान बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे।

अध्याय 2: बिहार विधानमंडल

राज्य विधानमंडल:

- बिहार विधानमंडल एक द्विसदनीय निकाय है जिसमें दो सदन शामिल हैं: **बिहार विधान सभा (विधानसभा) और बिहार विधान परिषद (विधान परिषद)।** दोनों सदनों का प्रशासन भारत के संविधान के **अनुच्छेद 152-237** के आधार पर किया जाता है।
- विधायिका की प्राथमिक भूमिका विधेयकों को बनाना है, जो केवल तभी कानून बनते हैं जब उन्हें भारत के राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है।

बिहार विधान सभा (विधानसभा)

बिहार राज्य विधानमंडल का निचला सदन विधान सभा है। यह एक **अस्थायी सदन** है।

- विधान सभा का वर्णन संविधान के **अनुच्छेद 170** में किया गया है।
- राज्य विधानसभा में सीटों की **अधिकतम संख्या 500 है और न्यूनतम संख्या 60** है।
- प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक **7 फरवरी 1921** को वर्तमान विधान सभा के सभागार में आयोजित की गई थी। इसी आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया गया।
- बिहार विधान सभा सीटों में से **38 अनुसूचित जाति** और **2 अनुसूचित जनजाति** के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा **1 सीट एंग्लो-इंडियन समुदाय** के लिए आरक्षित थी, जिसे **104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा** समाप्त कर दिया गया था।
- विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल **5 वर्ष** का होता है। हालांकि, विभिन्न परिस्थितियों में, इसे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है।

संयोजन:

- बिहार विधान सभा में **243 सदस्य** होते हैं, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर बिहार के लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
- सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का होता है जब तक कि विधानसभा पहले भंग नहीं हो जाती।

- बिहार विधानसभा पहली बार **1937 में** बिहार को राज्य का दर्जा मिलने और ओडिशा से अलग होने के बाद अस्तित्व में आई। उस समय विधानसभा की ताकत **152** थी। बिहार में 1952 में हुए पहले आम चुनावों में, इसकी ताकत बढ़कर 331 हो गई और 1956 में घटकर 318 रह गई।
- झारखंड के गठन के बाद, बिहार विधान सभा के कुल 243 सदस्य हैं। 242 सदस्य सीधे राज्य चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं और एक सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है जो एंग्लो-इंडियन समुदाय से संबंधित होना चाहिए। **38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।**
- सभापति को अध्यक्ष भी कहा जाता है और उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में, बिहार विधान सभा राज्य की राजधानी पटना में स्थित है। इसके तीन सत्र हैं, यानी बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र।

राम दयालु सिंह बिहार विधान सभा के पहले अध्यक्ष या सभापति थे। उनका कार्यकाल 23 जुलाई 1937 से 11 नवंबर 1944 तक था।

- बिहार विधान सभा भवन, जिसे मूल रूप से परिषद कक्ष के रूप में जाना जाता था, ने फरवरी, 2021 में अपनी शताब्दी मनाई।
- वास्तुकार **एएम मिलवुड** द्वारा "मुक्त पुनर्जागरण शैली" में डिज़ाइन किया गया।
- यह स्थापत्य शैली प्रतिष्ठित पटना सचिवालय की भव्यता का पूरक है।

बिहार विधान परिषद (विधान परिषद)

बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है।

- विधान परिषद के गठन और निर्माण का वर्णन संविधान के **अनुच्छेद 169** में किया गया है।
- विधान परिषद की संरचना का वर्णन संविधान के **अनुच्छेद 171** में किया गया है। विधान परिषद की **अधिकतम संख्या विधानसभा की एक-तिहाई से अधिक नहीं** हो सकती और **न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं** हो सकती।
- विधान परिषद की पहली बैठक **20 जनवरी 1913** को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी आधार पर वर्ष **2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष** मनाया गया।
- विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं।
- विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल **6 वर्ष का होता है।**

वर्ष	विधान परिषद में सदस्यों की संख्या	वर्ष	विधान सभा में सदस्यों की संख्या
1913	43	1937	152
1937	50	1952	331
1952	72	1957	319
1958	96	1977	325
2000	75	2000	243

पटना सचिवालय

- पटना सचिवालय, जिसे पटना सचिवालय या पुराना सचिवालय भी कहा जाता है, जो भारत में बिहार राज्य सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है।

स्थान और निर्माण:

- पटना सचिवालय पटना में राजभवन के पूर्व में स्थित है।
- अंग्रेजों द्वारा **इंडो-सरसेनिक शैली में निर्मित,** 1917 **में पूरा हुआ**।
- **आयाम:** 716 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा।
- **जोसेफ मुनिंग्स** द्वारा डिजाइन किया गया, कलकत्ता के **मार्टिन बर्न** (1913-17) द्वारा निर्मित।

वास्तुकला विशेषताएं:

- एक विशाल क्लॉक टॉवर के साथ विक्टोरियन निर्माण मूल रूप से 198 फीट ऊंचा है, अब 1984 के भूकंप के बाद 134 फीट।
- अंदर उचित तापमान बनाए रखने के लिए रानीगंज से लाई गई कंक्रीट की छत और टाइलों के बाहरी आवरण के बीच एक अंतर शामिल है।

कैंपस हाइलाइट्स:

- एक लॉन और बिहार के **पहले मुख्यमंत्री** श्रीकृष्ण सिन्हा की कांस्य प्रतिमा है।
- शहीद स्मारक **1942 के अगस्त क्रांति आंदोलन** के दौरान **सात छात्रों के बलिदान** की याद दिलाता है।

वर्तमान उपयोग:

- बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- **महत्वपूर्ण सरकारी विभाग**: गृह, वित्त, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय, आदि।
- मंत्रियों और नौकरशाहों के कार्यालय यहां स्थित हैं।

अध्याय 3: बिहार में संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकाय

बिहार लोक सेवा आयोग	• बिहार लोक सेवा आयोग **1 अप्रैल 1949** को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की **धारा 261 की उप-धारा (1)** द्वारा उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोग से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया। • इसकी संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की घोषणा के साथ घोषित की गई थी। • यह भारत के संविधान के **अनुच्छेद 315** के तहत एक **संवैधानिक निकाय** है। • बिहार लोक सेवा आयोग ने रांची में अपने मुख्यालय के साथ बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज शुरू किया। राज्य सरकार ने आयोग के मुख्यालय को रांची से पटना स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और अंततः **1 मार्च 1951 को पटना स्थानांतरित** कर दिया। • बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष **श्री राजनधारी सिन्हा थे**। • **श्री राधाकृष्ण चौधरी** आयोग के प्रथम सचिव थे। • वर्तमान अध्यक्ष: श्री परमार रवि मनुभाई

बिहार मानवाधिकार आयोग	**स्थापना और विधान:** • **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993** ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की। • बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना **3 जनवरी 2000** को हुई थी। **25 जून 2008 को इसका पुनर्गठन** किया गया था। • आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा सशक्त एक स्वायत्त निकाय है। **सुव्यवस्थित करना:** • अध्यक्ष को उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। • आयोग का सचिव एक अधिकारी होना चाहिए जो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का न हो। • आयोग की अपनी जांच एजेंसी है, जिसका नेतृत्व एक पुलिस अधिकारी करता है जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होता है।
बिहार राज्य महिला आयोग	**स्थापना:** • बिहार राज्य महिला आयोग को **'बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999'** के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए एक स्वतंत्र सरकारी विभाग के रूप में गठित किया गया है। • आयोग का मुख्यालय पटना में है। **सुव्यवस्थित करना:** • आयोग के सदस्यों को **तीन साल** के लिए चुना जाता है। • अध्यक्ष और अन्य सदस्य महिलाएं होती हैं और उन्हें **राज्यपाल द्वारा नियुक्त** किया जाता है।
बिहार सूचना आयोग	**स्थापना:** • बिहार राज्य सूचना आयोग एक **वैधानिक निकाय** है, जिसकी स्थापना **जून 2006** में **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15** के तहत की गई थी। • बिहार राज्य सूचना आयोग का कार्यालय पटना में स्थित है। **संचालन:** • राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (एससीआईसी) की अध्यक्षता में। • **राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित** एक कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं।
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग	**स्थापना:** • राज्य निर्वाचन आयोग एक **संवैधानिक निकाय** है। • राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना **30.03.1994** को **बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993** के अनुसार की गई थी। **कार्यों:** • आयोग को विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी के साथ बनाया गया था। अनुच्छेद **243-K** राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है। • चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा समर्थित होते हैं। • प्रमुख कानून बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 और पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 हैं। • बिहार पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, उनके आरक्षण, निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और पुनरीक्षण तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन संचालन से संबंधित है। • बिहार नगरपालिका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन नियम, 2001 नगर परिषद और नगर पंचायतों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग Bihar State Minority Commission बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग	**स्थापना:** • राज्य सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए **26.4.1971** को एक आदेश जारी किया। • आयोग के **अध्यक्ष मुख्यमंत्री** थे और सदस्य सचिव लोक शिकायत आयुक्त **श्री एस. आलम** थे। • प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को उनके धर्म या संप्रदाय की परवाह किए बिना समान मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
बिहार राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग	कार्यपालक कार्य नियम, 1979 के नियम में संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। • विभाग को अधिसूचना में उल्लिखित विभिन्न विषयों को लागू करने और निगरानी करने का काम सौंपा गया है।

अध्याय 4: बिहार न्यायपालिका

बिहार में एक न्यायिक प्रणाली है जो ब्रिटिश भारत के समय में स्थापित की गई थी। न्यायपालिका शासन के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। न्यायपालिका **विधायिका और कार्यपालिका के अलावा सरकार का तीसरा अंग** है।

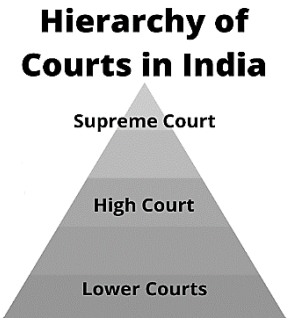

उच्च न्यायालय (भाग VI, अनुच्छेद 214 से 231)

- **संविधान के अनुच्छेद 214** में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए उपबंध किए गए हैं परंतु संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है **(अनुच्छेद 231)।**
- उच्च न्यायालय एक राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख के रूप में होता है। देश में **25 उच्च** न्यायालय हैं, जिनमें से **तीन** की अधिकारिता एक से अधिक राज्यों पर है।
- केंद्र शासित प्रदेशों में, **दिल्ली** और केंद्र शासित प्रदेशों **जम्मू और कश्मीर और लद्दाख** का अपना एक उच्च न्यायालय है। अन्य पांच केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। **अनुच्छेद 217** के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति **राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सहमति से** की जाती है। वे **62 वर्ष की** आयु तक पद धारण करते हैं।

बिहार उच्च न्यायालय

- उच्च न्यायालय, पटना का राज्य की न्यायिक प्रणाली में शीर्ष स्थान है।
- बिहार राज्य में उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय का गठन **भारत सरकार अधिनियम, 1909** के तहत किया गया था।
- पटना में उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला भारत के तत्कालीन वायसराय **लॉर्ड हार्डिंग ने 1 दिसंबर 1913 को** रखी थी और भवन का उद्घाटन **3 फरवरी 1916 को हुआ था।**
- पटना उच्च न्यायालय ने **1916 में** मुख्य न्यायाधीश और छह अन्य न्यायाधीशों के साथ अपना काम शुरू किया।
- 1947 में, न्यायालय की स्वीकृत शक्ति नौ स्थायी और तीन अतिरिक्त न्यायाधीश थे।
- हालांकि वर्ष 1937 में ओडिशा के लिए एक अलग प्रांत बनाया गया था, इस उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई 1948 तक बिहार और उड़ीसा दोनों के क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया।
- 1948 में उड़ीसा के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का गठन किया गया था।
- 1972 **में रांची में पटना उच्च न्यायालय के लिए एक सर्किट बेंच खोली गई थी।** यह सर्किट बेंच नवंबर 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय बन गई जब झारखंड अलग राज्य बनाया गया था।

- हाल ही में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने **न्यायमूर्ति चंदेल** को पद की शपथ दिलाई।
- न्यायमूर्ति चंदेल को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की एक अधिसूचना के बाद 29 मई, 2024 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- **के विनोद चंद्रन** को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण: अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के संबंध में उच्च न्यायालय को कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है। **ये हैं:**

- उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से विवरणी मांग सकता है।
- यह निचली अदालतों के लिए नियम बना सकता है और फॉर्म निर्धारित कर सकता है।
- यह उन प्रपत्रों को निर्धारित कर सकता है जिनमें न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड रखे जाएंगे।

अधीनस्थ न्यायालय

- बिहार में अधीनस्थ न्यायालयों में **जिला न्यायालय, लोक अदालतें और लोकायुक्त शामिल थे।**

जिला न्यायालय

- उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 233 से 237** के अनुसार किया गया है।
- जिला न्यायालय जिला स्तर पर न्याय का प्रशासन करता है। ये न्यायालय संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। जिला न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन है।

बिहार में जिला न्यायालय

- बिहार में कुल 38 जिले हैं। सभी जिलों में जिला या अधीनस्थ न्यायालय हैं। बिहार का **सबसे पुराना जिला न्यायालय मुजफ्फरपुर में** है। न्यायाधीश का पद वर्ष 1875 में गठित किया गया था और यह उस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन था। इसका क्षेत्रीय विस्तार **दरभंगा, मोतिहारी और छपरा** के क्षेत्रों में फैला हुआ था। बाद में दरभंगा की जजशिप 1898 में बनाई गई थी, और छपरा और सारण में इसका गठन 1899 में किया गया था।
- 1947 तक, बिहार में 13 न्यायाधीश बनाए गए थे। 1948 में ओडिशा के न्यायाधीश के रूप में अलग होने के बाद, बिहार के विभिन्न जिलों में नए न्यायाधीशों का सृजन किया गया। 15 नवम्बर, 2000 को झारखंड राज्य के सृजन के साथ ही बिहार न्यायपालिका का विभाजन हो गया।
- हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम और धनबाद का जजमेंट झारखंड चला गया। बिहार में 2005 में जमुई और 2012 में शिवहर में नए जज बनाए गए थे।

बिहार में ग्राम कचहरी या ग्राम न्यायालय

ग्राम कचहरी एक ग्राम पंचायत के भीतर एक निकाय है जो स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेता है और कानूनी निवारण प्रदान करता है। पंचायत की ग्राम कचहरी (स्थानीय कानूनी निवारण के लिए एक संस्था) पंचायत सरकार भवन में स्थित है।

- बिहार राज्य में ग्राम कचहरी नामक निर्वाचित न्यायपालिका की एक अनूठी प्रणाली है, जो ग्रामीण लोगों को आपराधिक और नागरिक प्रकृति दोनों के छोटे अपराधों से संबंधित न्यायिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है।
- ग्राम कचहरी का नेतृत्व सरपंच करता है, जिसे पंचों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- इनका चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम कचहरी को बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 में पेश किया गया था और 1948 में लागू किया गया था।
- बिहार की हर ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है।
- बिहार में 8,463 ग्राम कचहरी हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर एक, जो बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार स्थापित किए गए हैं। अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि विवादों का निपटारा जहां तक संभव हो, ग्राम कचहरी द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाना होता है।
- ग्राम कचहरी को नागरिक अधिकार अधिनियम की धारा 120 के अनुसार **दस हजार से कम चल संपत्ति** के नुकसान से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार है।
- यह समय या धन की हानि के बिना छोटे विवादों को निपटाने के लिए राज्य सरकार की एक पहल है।
- ग्राम कचहरी ग्रामीण बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के तहत कार्य करता है। वे नियत तिथि से **पांच साल** के लिए बनते हैं।
- सरपंच ग्राम कचहरी के निर्वाचित नेता होते हैं, उप-सरपंच उपाध्यक्ष होते हैं और पंच इसके निर्वाचित सदस्य होते हैं।

लोक अदालत

- **'लोक अदालत' का अर्थ है 'लोगों की अदालत' और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।** यह न्यायालय के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है।
- **लोक अदालत के पीछे मूल उद्देश्य** समाज के कमजोर वर्गों को त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करना है। इसकी वकालत मुख्य रूप से **भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती** ने की थी।
- लोक अदालतों को **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के अधीन सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सामाजिक गतिविधियों या कानूनी पेशे के अन्य सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- एक विशिष्ट अधिनियम के तहत स्थापित लोक अदालत प्रणाली, ऐसे निर्णय प्रदान करती है जिन्हें सिविल अदालतों की डिक्री माना जाता है, जो सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है, जिसमें अपील का कोई विकल्प नहीं है। **1982 में गुजरात में शुरू** की गई ये अदालतें अपने सामने लाए गए मामलों के लिए बिना कोर्ट फीस के काम करती हैं।

बिहार में लोक अदालतें

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है।

बिहार में तीन तरह की लोक अदालतें चल रही हैं।

- सतत लोक अदालत
- मोबाइल लोक अदालत
- राष्ट्रीय लोक अदालत।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम का अधिकार

- बिहार राज्य ने 5 जून, 2016 से इस अधिनियम को लागू किया है।
- आम जनता की शिकायतों का समाधान करना और समयबद्ध तरीके से यानी शिकायत करने के **60 दिनों के भीतर** राहत/लाभ प्रदान करना।
- राज्य शिकायत दर्ज करने के लिए सहायता और जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल Lokshikayat.bihar.gov.in प्रदान करता है।

लोकायुक्त

- लोकायुक्त एक संगठन है जो भारतीय राज्यों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया गया है। यह कुप्रशासन और राजनीतिक भ्रष्टाचार को संबोधित करके आम जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
- राज्यों के मामले में, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है जिसमें **मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** शामिल होते हैं। एक बार नियुक्त होने के बाद, लोकायुक्त को बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और इसे महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।

बिहार में लोकायुक्त

- बिहार में लोकायुक्त का गठन **1973 के बिहार लोकायुक्त अधिनियम** (1974 का बिहार अधिनियम VI) के तहत किया गया था। राज्य सरकार ने 2012 के बिहार लोकायुक्त अधिनियम के तहत अधिनियम में विभिन्न बदलाव किए। लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र पूरे बिहार में है।
- यह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बिहार राज्य विधान सभा के विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद बिहार के राज्यपाल द्वारा **5 साल के लिए** नियुक्त किया जाता है।

बिहार लोकायुक्त की संरचना

- बिहार लोकायुक्त में 3 **सदस्य होते** हैं जिनमें से 2 सदस्य बिहार न्यायपालिका से होने चाहिए जो बिहार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवारत हों।

तीन सदस्यों में शामिल हैं:

- सभापति
- न्यायिक सदस्य
- सदस्य

- बिहार लोकायुक्त में चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी आयु 70 वर्ष होती है। प्रत्येक लोकायुक्त का नाम उसके अध्यक्ष के नाम पर रखा जाता है।
- न्यायमूर्ति **श्रीधर वासुदेव सोहोनी** ने बिहार लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

महाधिवक्ता

- एक राज्य का महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद और प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 165** के अनुसार विधिवत नियुक्त किया जाता है।

बिहार में महाधिवक्ता

- 1937 में पटना उच्च न्यायालय में बिहार में महाधिवक्ता का पद बहाल किया गया। अब तक 21 वकील बिहार न्यायपालिका प्रणाली में महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं।
- बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता **प्रशांत कुमार शाही** हैं।

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश	कार्यकाल प्रारंभ	कार्यकाल की समाप्ति
के विनोद चंद्रन	29 मार्च 2023	अवलंबी
संजय करोल	11 नवंबर 2019	5 फरवरी 2023
अमरेश्वर प्रताप साही	17 नवंबर 2018	10 नवंबर 2019
मुकेश शाह	12 अगस्त 2018	1 नवंबर 2018
राजेंद्र मेनन	15 मार्च 2017	8 अगस्त 2018
इकबाल अहमद अंसारी	29 जुलाई 2016	28 अक्टूबर 2016
एल नरसिम्हा रेड्डी	2 जनवरी 2015	31 जुलाई 2015
रेखा मनहरलाल दोषी	21 जून 2010	12 दिसंबर 2014
दीपक मिश्रा	23 दिसंबर 2009	20 जून 2010
प्रफुल्ल कुमार मिश्र	12 अगस्त 2009	16 सितम्बर 2009
आर.एम. लोढ़ा	13 अप्रैल 2008	16 दिसंबर 2008
राजेश बलिया	5 जनवरी 2008	3 मार्च 2008
डॉ. जे.एन. भट्ट	18 जुलाई 2005	16 अक्टूबर 2007
रवि एस. धवन	25 जनवरी 2000	22 जुलाई 2004
बी.एम. लाल	9 जुलाई 1997	6 अक्टूबर 1999
डी.पी. वाधवा	29 सितंबर 1995	21 मार्च 1997
जी.पी. पटनायक	19 मई 1995	11 सितम्बर 1995
के. वेंकटस्वामी	19 सितंबर 1994	6 मार्च 1995
के.एस. परिपूर्णन	24 जनवरी 1994	11 जून 1994
के.एस. परिपूर्णन	24 जनवरी 1994	11 जून 1994
बिमल चंद्र बसाक	18 मार्च 1991	21 अक्टूबर 1994
गंगाधर गणेश सोहानी	24 अक्टूबर 1989	17 दिसम्बर 1990
शुशील कुमार झा	19 अक्टूबर 1989	23 अक्टूबर 1989

दीपक कुमार सेन	1 मई 1988	1 मई 1989
भगवती प्रसाद झा	2 जनवरी 1988	2 जनवरी 1988
सुरजीत सिंह संधावालिया	29 नवंबर 1983	27 जुलाई 1987
कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह	19 जुलाई 1976	12 मार्च 1982
श्याम नंदन प्रसाद सिंह	3 अक्टूबर 1974	1 मई 1976
नंद लाल उंटवालिया	29 सितंबर 1972	3 अक्टूबर 1974
उइअल नारायण सिन्हा	5 सितंबर 1970	29 सितंबर 1972
सतीश चंद्र मिश्र	9 नवंबर 1968	5 सितंबर 1970
रामास्वामी लक्ष्मी नरसिम्हन	4 जनवरी 1965	2 अगस्त 1968
वैद्यनाथियर रामास्वामी	30 अप्रैल 1956	4 जनवरी 1965
सुधांशु कुमार दास	10 जनवरी 1955	30 अप्रैल 1956
सैयद जाफ़र इमाम	3 सितम्बर 1953	10 जनवरी 1955
डेविड एज्रा रूबेन	1 जून 1952	2 सितंबर 1953
पंडित लक्ष्मी कांत झा	8 अप्रैल 1950	1 जून 1952
सर हर्बर्ट रिबन मेरेडिथ	25 जनवरी 1950	8 अप्रैल 1950
सर क्लिफोर्ड मोनमोहन अग्रवाल	9 जनवरी 1948	24 जनवरी 1950
सर सैयद फ़ज़ल अली	19 जनवरी 1943	14 अक्टूबर 1946
सर आर्थर ट्रेवर हैरिस	10 अक्टूबर 1938	19 जनवरी 1943
सर कर्टनी टेरेल	31 मार्च 1928	6 मई 1938
सर थॉमस फ्रेड्रिक डॉसन मिलर	31 अक्टूबर 1917	31 मार्च 1928
सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैंप्स चे	1 मार्च 1916	30 अक्टूबर 1917

अध्याय 5: बिहार में पंचायती राज व्यवस्था

स्थानीय स्वशासन का परिचय:

आजादी के बाद 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर एक एक्ट बनाया गया।

- बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1947 में हुई थी।
- 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में, **बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006** अधिनियमित किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान है।

पंचायती राज व्यवस्था (ग्रामीण स्वशासन)

- यह प्रणाली भारतीय राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जाती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमें अनूठी विशेषताएं हैं, जो जमीनी स्तर पर स्थानीय स्वशासन देती हैं। इसे **1992 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था**। इस संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में **11वीं अनुसूची** को जोड़ा।
- अधिनियम प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता है।
- पंचायती राज अधिनियम में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
- पंचायत में चुने जाने के योग्य होने के लिए, **किसी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए** और वह विधानमंडल का सदस्य होने के लिए योग्य होना चाहिए।

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था

- बिहार पंचायती राज अधिनियम स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1947 में पारित किया गया था और 1949 में अधिनियम ने काम करना शुरू कर दिया था। **बलवंत राय मेहता** समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 1959 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया था।
- बिहार सरकार ने 1961 में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम बनाया। यह **2 अक्टूबर, 1963** से लागू हुआ।
- इन दो अधिनियमों के अनुसार, पूरे बिहार राज्य को तीन स्तरों में विभाजित किया गया था। पंचायती राज प्रणाली निम्नतम स्तर यानी ग्राम पंचायत से शुरू होती है। दूसरा स्तर पंचायत समिति है जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है और इसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायतों के चुनाव कराता है।

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006

- बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006, **8 अप्रैल, 2006** से लागू है।

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं-

पंचायती राज के तीन स्तर होंगे - (i) ग्राम पंचायत (ii) पंचायत समिति (iii) जिला परिषद।

- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों को क्रमशः **मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष** कहा जाता है।

महिलाओं के लिए आरक्षण:

- सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होगा।
- पिछले अधिनियम में 33% से वृद्धि हुई।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण:

- पिछड़ा वर्ग को **सभी स्तरों और पदों पर** अधिकतम **20 प्रतिशत** आरक्षण होगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सभी स्तरों पर उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का सभी स्तरों और पदों पर कुल आरक्षण **50 प्रतिशत से अधिक नहीं** होगा।
- पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवकों का दर्जा प्राप्त होगा।
- पंचायती राज का चुनाव **राज्य निर्वाचन आयोग** के तहत आयोजित किया जाएगा।

बिहार में पंचायती राज की मुख्य विशेषताएं

- बिहार सरकार ने स्थानीय पंचायतों में महिलाओं को **50% आरक्षण** दिया है। ऐसा करने वाला यह पहला भारतीय राज्य है। यह **उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश** जैसे अन्य राज्यों में भी वैध है।
- पंचायत की अवधि **5 वर्ष** के लिए होती है और एक वर्ष के भीतर ग्राम सभा की **चार बैठकें** होनी चाहिए।

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना और विशेषताएं-

ग्राम सभा -

- यह पंचायती राज के तहत **सबसे बड़ी विधानसभा** है। गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य हैं।
- **बैठक आवृत्ति: प्रति वर्ष** कम से कम **चार बैठकें**, बैठकों के बीच अधिकतम **तीन महीने** के अंतराल के साथ।
- **संगठन:** मुखिया द्वारा बैठकों का आयोजन किया जाता है।
- **कोरम:** कोरम के लिए आवश्यक संख्या कुल सदस्यों का **1/20**।
- **अध्यक्षता:** बैठकों की अध्यक्षता मुखिया या उनकी अनुपस्थिति में, उप मुखिया द्वारा की जाती है।

ग्राम पंचायत

- निर्वाचित मुखिया, उप-मुखिया और वार्ड सदस्यों को शामिल करके **7000 की आबादी के लिए एक ग्राम पंचायत** बनाई जाती है।

कार्यकाल - ग्राम पंचायत का कार्यकाल **5 वर्ष** का होता है।

- ग्राम पंचायत के भंग होने के **छह माह के भीतर चुनाव** संपन्न कर लिया जाएगा।

मुखिया - इनका चुनाव **प्रत्यक्ष मतदान** द्वारा किया जाता है।

उप-मुखिया - वे वार्ड सदस्यों के बहुमत से **अप्रत्यक्ष चुनाव** द्वारा चुने जाते हैं। समान बहुमत के मामले में, परिणाम लॉटरी द्वारा घोषित किया जाता है।

वार्ड सदस्य - प्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सदस्य चुना जाता है। **प्रत्येक 500 आबादी के लिए एक वार्ड सदस्य** चुना जाता है।

त्यागपत्र:

- मुखिया और उप मुखिया **जिला पंचायत राज अधिकारी को** अपना त्याग पत्र लिख सकते हैं।
- वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर **मुखिया** को दे सकता है।

पदशून्यता:

- **सात दिन बाद** उनका पद खाली हो जाएगा।

कोरम:

- ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का **आधा (1/2)** होगा।

ग्राम कचहरी

- प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है।

प्रमुख- ग्राम कचहरी का मुखिया **सरपंच** होता है जो **प्रत्यक्ष मतदान** द्वारा चुना जाता है।

निर्वाचन:

- ग्राम पंचायत के सभी वार्डों से सीधे मतदान द्वारा एक **पंच** का चुनाव किया जाता है।
- निर्वाचित पंच और सरपंच अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपने बीच से एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं।
- प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव और एक कानूनी मित्र नियुक्त किया जाता है।

त्यागपत्र:

- सरपंच और उप सरपंच **जिला पंचायती राज अधिकारी** को हस्तलिखित आवेदन देकर अपना इस्तीफा सौंपते हैं।
- ग्राम कचहरी का पंच, सरपंच को हस्तलिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र सौंपता है।

पंचायत समिति

ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। **प्रत्येक 5000 जनसंख्या के लिए** एक पंचायत समिति सदस्य चुना जाता है।

निर्वाचन -

- पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव **प्रत्यक्ष मतदान द्वारा** किया जाता है।
- समिति का नेतृत्व एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष करता है, जो सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं।

अध्यक्षता - पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता आमतौर पर पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि अध्यक्ष अनुपलब्ध है, तो उपाध्यक्ष यह भूमिका निभाता है।

जिला परिषद

जिला स्तर पर जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए नीति निर्माण और मार्गदर्शन के लिए काम करती है।

निर्वाचन -

- जिला परिषद के सदस्य लगभग **50,000 की आबादी पर** प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं।
- जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपने बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

त्यागपत्र:

- अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिलाधिकारी को हस्तलिखित में देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सभापति को हस्तलिखित में देता है।
- जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र **सभापति को** देता है।

बिपार्ड

बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण नियामक विभागों में से एक है। विभाग ने आईटी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना को लागू करने के लिए मास्टर संसाधन व्यक्तियों का एक समूह बनाया है।

नगरीय प्रशासन

शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है।

- बिहार नगर पालिका अधिनियम **74 वें संविधान संशोधन 1992** बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए लागू किया गया था।
- **बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007** ने शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना - **नगर पंचायत, नगर परिषद (नगर परिषद) और नगर निगम के लिए प्रावधान किया**।
- नगरीय निकायों में सदस्यों का चयन **प्रत्यक्ष निर्वाचन** के माध्यम से **पांच वर्ष के लिए** किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

बिहार में शहरी स्थानीय निकाय

बिहार में शहरी स्थानीय निकाय 1920 से चल रहे हैं। ब्रिटिश भारत सरकार ने 1922 में बिहार और उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार विभिन्न नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों का गठन किया गया।

- नियम **1 अप्रैल, 1929 को** लागू हुए।
- पटना नगर निगम की स्थापना **15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 के अनुसार** की गई थी, जिसे बिहार सरकार द्वारा **30 जुलाई 1952** को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों को शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने की आवश्यकता थी।
- बिहार विधानमंडल ने शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में पिछले अधिनियमों की जगह बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 को अधिनियमित किया।
- अधिनियम के तहत बिहार सरकार को शहरी स्थानीय निकायों के आय और व्यय के प्रबंधन के लिए नगरपालिका लेखा मैनुअल तैयार करने की आवश्यकता है।
- बिहार राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में **महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत**, पिछड़े वर्गों के लिए बीस प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।
- नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के साथ-साथ टाउनशिप और छावनी बोर्ड बिहार में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की भी देखभाल करते हैं।

शहरी स्थानीय निकायों की त्रिस्तरीय संरचना

i. नगर निगम

ii. नगर परिषद

iii. नगर पंचायत

बिहार में नगर निगम

- **2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार राज्य में बारह नगर निगम हैं।** बारह शहरों की जनसंख्या **दो लाख से अधिक** है।
- **मुजफ्फरपुर बिहार का पहला शहर था जहां नगर निगम बनाया गया था।** पटना नगर निगम की स्थापना **5 अगस्त 1952** को हुई थी।
- नगर निगम करों, किराए और सरकारी अनुदान के माध्यम से धन प्राप्त करते हैं।
- मुजफ्फरपुर नगर निगम पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है.
- गया नगर निगम अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है.
- बिहार में नगर निगमों वाले शहरों की आबादी 500,000 से 1,000,000 या उससे अधिक है।
- पटना नगर निगम के सभी 75 वार्ड छह सर्किलों के कार्यकारी नियंत्रण में हैं।

बिहार में नगर निगमों की सूची

नगर निगम	जिला
पटना नगर निगम	पटना
गया नगर निगम	गया
भागलपुर नगर निगम	भागलपुर
मुजफ्फरपुर नगर निगम	मुजफ्फरपुर
मुंगेर नगर निगम	मुंगेर
पूर्णिया नगर निगम	पूर्णिया
बेगूसराय नगर निगम	बेगूसराय
छपरा नगर निगम	सारण
कटिहार नगर निगम	कटिहार
दरभंगा नगर निगम	दरभंगा
बिहार शरीफ नगर निगम	नालंदा
आरा नगर निगम	भोजपुर

नगर परिषद (नगर परिषद)

- बिहार में संचालित नगर परिषद (नगर परिषद) छोटे शहरों, कस्बों और अर्ध शहरी क्षेत्रों की देखभाल करती है।
- **जनसंख्या सीमा**: 40,000 से 200,000।
- 25 से 45 वार्डों में वितरित।
- एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अध्यक्षता में

नगर पंचायतें

- बिहार में नगर पंचायतें उन क्षेत्रों में संचालित होती हैं जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं।
- **जनसंख्या सीमा:** 12,000 से 40,000।
- 10 से 25 वार्डों में वितरित।
- एक अध्यक्ष और दस अन्य निर्वाचित सदस्यों की अध्यक्षता में।

शहरी स्थानीय निकायों के सदस्य

- **महापौर/अध्यक्ष:** शहरी स्थानीय निकाय का प्रमुख बैठकों की अध्यक्षता करता है और आम चुनावों के माध्यम से चुना जाता है।
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ):** पूर्णकालिक प्रधान कार्यकारी अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो पर्यवेक्षण, बोर्ड की बैठकों के आयोजन, बजट अनुमानों और योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार।

शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण

- **अनुच्छेद 243**: SC, ST और महिलाओं के लिये नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- महिला आरक्षण: कुल सीटों में से **कम से कम एक तिहाई सीटें** महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
- प्रावधान: राज्य अपनी विशिष्ट शर्तों के आधार पर सीटों के आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं।

शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकर्ता

अनुच्छेद 243, संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए **18 कार्यात्मक मदें** शामिल हैं, जैसे:

- शहरी नियोजन
- भूमि का विनियमन
- आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना
- सड़कों और पुलों का निर्माण
- और अन्य संबंधित कार्य

वर्तमान में बिहार में नगरीय निकायों की कुल संख्या **261** है।
नगर निगम - 19 • नगर परिषद - 88 · नगर पंचायत - 154

BIHAR EXAMS WALLAH

Bihar English

बिहार सरकार

Bihar Police Constable •
BPSC Bihar Teacher •
High Court ASO/Clerk •
and Other Competitive Exam

- Topic wise Questions for Practice
- Exclusive Tricks for All Topics
- Unfolding the mystery of words
- Vocabulary and Comprehension

Bihar JEET

TABLE OF CONTENTS

Sr. No.	Topic	Page No.
1	Noun & Pronoun	1
2	Verb & Tense	13
3	Adjective & Adverb	25
4	Conjunction	35
5	Preposition	45
6	Sub-Verb Agreement	57
7	Article	63
8	Narration	69
9	Active & Passive Voice	81
10	Fill in the Blanks	87
11	Cloze Test	93
12	Reading Comprehension	99
13	Spellings	105
14	Punctuation	113
15	Idioms	121
16	Synonym & Antonym	131

BIHAR EXAMS WALLAH

हिंदी माध्यम

बिहार हिंदी

बिहार सरकार

- बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा
- बीपीएससी बिहार शिक्षक
- बीएसएससी सीजीएल
- बीएसएससी इंटर लेवल
- उच्च न्यायालय सहायक/क्लर्क व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ

- प्रतियोगी परीक्षानुसार हिन्दी व्याकरण
- नवीनतम परीक्षा प्रारूप पर आधारित अभ्यास
- नवीनतम परीक्षा पर आधारित व्यापक शब्दकोष

बिहार जीत

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
I.	हिन्दी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएँ	1-6
II.	हिन्दी व्याकरण का मौलिक ज्ञान	
1.	हिन्दी वर्णमाला	7-13
2.	तत्सम-तद्भव	14-31
3.	पर्यायवाची शब्द	32-38
4.	विलोम शब्द	39-47
5.	अनेकार्थक शब्द	48-53
6.	वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द	54-60
7.	समरूपी भिन्नार्थक शब्द	61-69
8.	वाक्य शुद्धि	70-76
9.	लिंग	77-79
10.	वचन	80-81
11.	कारक	82-85
12.	सर्वनाम	86-89
13.	विशेषण	90-94
14.	क्रिया	95-98
15.	काल	99-102
16.	वाच्य	103-105
17.	अव्यय	106-110
18.	उपसर्ग	111-116
19.	प्रत्यय	117-125
20.	संधि	126-139
21.	समास	140-151
22.	विराम-चिह्न	152-155
23.	(a) मुहावरे एवं (b) लोकोक्तियाँ	156-179
24.	रस	180-186
25.	छंद	187-192
26.	अलंकार	193-196
III.	अपठित बोध	197-202
IV.	प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएँ	203-219
V.	हिन्दी भाषा के प्रमुख पुरस्कार	220-224

BIHAR EXAMS WALLAH

हिंदी माध्यम

बिहार सामान्य विज्ञान

बिहार सरकार

- बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा
- बीपीएससी बिहार शिक्षक
- बीएसएससी सीजीएल
- बीएसएससी इंटर लेवल
- उच्च न्यायालय सहायक/क्लर्क व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ

- सामान्य विज्ञान का व्यापक कवरेज
- दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ विषय की व्याख्या
- विषय-वार MCQs

बिहार जीत

विषयसूची

क्र.सं.	प्रकरण	पेज सं.
	भौतिक विज्ञान	
1	भौतिक विश्व एवं मापन	1
2	गति	13
3	बल और गति के नियम	19
4	गुरुत्वाकर्षण	27
5	विद्युतचुंबकीय तरंगें	31
6	ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी	35
7	प्रकाशिकी	41
8	ध्वनि	55
9	स्थिरवैद्युतिकी (इलेक्ट्रोस्टैटिक्स)	63
10	चुम्बकत्व	69
	रसायन विज्ञान	
11	पदार्थ की अवस्थाएँ	79
12	परमाणु संरचना	89
13	रेडियोधर्मिता	95
14	तत्वों का आवर्त वर्गीकरण	103
15	धातु और अधातु, उपधातु	109
16	अम्ल, क्षार और लवण	115
17	कार्बन और कार्बनिक रसायन विज्ञान	125
18	रासायनिक अभिक्रियाएँ	135
19	दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान	141
	जीव विज्ञान	
20	कोशिका	151
21	ऊतक	165
22	पादप आकृति विज्ञान	171
23	पादप कार्यिकी	179
24	पोषक तत्व और पोषण	187
25	पाचन तंत्र	195
26	संचार प्रणाली	201
27	अंतःस्रावी तंत्र	209
28	तंत्रिका तंत्र	215
29	उत्सर्जन तंत्र	225
30	प्रजनन तंत्र	231

31	कंकाल तंत्र	237
32	वनस्पति और प्राणी जगत	247
33	आनुवंशिकी एवं विकास	265
34	पर्यावरण	279
35	जैव प्रौद्योगिकी	291
36	परिस्थितिकी	309
37	कमी एवं रोग	333

BIHAR EXAMS WALLAH

हिंदी माध्यम

बिहार सामाजिक अध्ययन

बिहार सरकार

- बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा
- बीपीएससी बिहार शिक्षक
- बीएसएससी सीजीएल
- बीएसएससी इंटर लेवल
- उच्च न्यायालय सहायक/क्लर्क व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ

- व्यापक टॉपिक समेकन
- सरल और आसान भाषा
- विषयवार अभ्यास प्रश्न
- पिछले वर्ष के प्रश्नों पर आधारित
- नवीनतम बिहार परीक्षा प्रारूप पर आधारित

बिहार जीत

विषयसूची

क्र.सं.	प्रकरण	पेज सं.
	इतिहास	
1	आदि मानव और प्रागैतिहासिक युग	1
2	सिंधु घाटी सभ्यता	5
3	वैदिक सभ्यता	11
4	महाजनपद	17
5	बौद्ध और जैन धर्म	21
6	मगध साम्राज्य	27
7	मौर्योत्तर काल	35
8	गुप्त वंश (240-505 ई.)	41
9	गुप्तोत्तर राजवंश	47
10	संगम युग	53
11	प्रारंभिक मध्यकालीन काल	61
12	दिल्ली सल्तनत	65
13	मुगल काल (1526-1857 ई.)	79
14	मुगल प्रशासन और संस्कृति	93
15	भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन	97
16	दक्षिण भारत के साम्राज्य	101
17	क्षेत्रीय शक्तियाँ	107
18	यूरोपीय कंपनियाँ	117
19	1857 का विद्रोह	121
20	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं सामाजिक आंदोलन	125
21	बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन	133
22	गांधीवादी युग (प्रथम चरण, 1915-1922)	137
23	क्रांतिकारी आंदोलन	141
24	गांधीवादी युग (दूसरा चरण, 1930 - 1947)	147
25	भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय	153
26	किसान और आदिवासी आंदोलन	163
27	भारत में प्रेस का विकास	167
28	विश्व इतिहास - I	173
29	विश्व इतिहास - II	185
30	विश्व इतिहास - III	199
	भूगोल	
1	ब्रह्माण्ड और सौर परिवार	219
2	पृथ्वी	229
3	महाद्वीप और महासागर	237
4	चट्टान और पर्वत	263
5	वायुमंडल	271
6	भारत का भौतिक विभाजन	279

7	भारत और पड़ोसी देश	287
8	भारत का अपवाह तंत्र	301
9	मृदा	311
10	जलवायु और मानसून	317
11	प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव	323
12	राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व	329
13	खनिज एवं ऊर्जा	343
14	उद्योग	351
15	परिवहन एवं संचार	357
16	विविध	363
	राजव्यवस्था	
1	भारतीय संविधान का विकास	371
2	भारत के संविधान के स्रोत	379
3	भारत के संविधान की प्रस्तावना	391
4	संघ और उसका क्षेत्र	395
5	नागरिकता	401
6	मौलिक अधिकार	405
7	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य	413
8	संघ कार्यपालिका	421
9	संघ की विधायिका	431
10	राज्य कार्यपालिका	441
11	राज्य विधायिका	449
12	न्यायपालिका	455
13	केंद्र-राज्य संबंध	463
14	संविधान में संशोधन	467
15	आपातकालीन प्रावधान	479
16	स्थानीय सरकार	483
17	भारत के संवैधानिक निकाय	491
18	भारत के गैर-संवैधानिक निकाय	497
19	विविध	505
	अर्थव्यवस्था	
1	अर्थव्यवस्था की मूल बातें	515
2	भारत में योजना	521
3	राष्ट्रीय आय	527
4	मांग और आपूर्ति	533
5	कृषि	539
6	बाज़ार	547
7	पूंजी बाजार	553
8	भारतीय बैंकिंग प्रणाली	559
9	मुद्रास्फीति	567
10	बजट	573
11	बेरोजगारी और गरीबी	579
12	जनसांख्यिकी	587
13	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	593

BIHAR EXAMS WALLAH

हिंदी माध्यम

मानसिक क्षमता

बिहार सरकार

बिहार पुलिस कांस्टेबल •
बिहार पुलिस दरोगा और अन्य •
प्रतियोगी परीक्षाएँ

- उदाहरणों की गहन व्याख्या
- मुख्य अवधारणाओं पर फोकस
- शॉर्ट ट्रिक्स के साथ विस्तृत समाधान
- नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित
- विषय-वार अभ्यास प्रश्न

बिहार जीत पुलिस

विषयसूची

क्र.सं.	प्रकरण	पेज सं.
1	वर्णमाला श्रृंखला	1
2	कोडिंग और डिकोडिंग	13
3	रक्त संबंध	29
4	समानता	43
5	वर्गीकरण	59
6	दिशा ज्ञान	71
7	तार्किक वेन आरेख	89
8	श्रृंखला पूर्णता	105
9	पहेली	125
10	लुप्त वर्ण सम्मिलित करना	139
11	गणितीय क्रियाएँ	151
12	शब्द का तार्किक क्रम	161
13	पासा और घन	173
14	आंकड़ों की गिनती	191
15	गैर - मौखिक तर्क	209

BIHAR EXAMS WALLAH

हिंदी माध्यम

संख्यात्मक अभिरुचि

बिहार सरकार

बिहार पुलिस कांस्टेबल •
बिहार पुलिस दरोगा और अन्य •
प्रतियोगी परीक्षाएँ

- नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुसार डिज़ाइन
- सरलीकृत अवधारणाएँ
- अवधारणा-आधारित उदाहरण
- प्रश्नों को हल करने के लिए नवीन दृष्टिकोण
- विषयवार अभ्यास

बिहार जीत पुलिस

विषयसूची

क्र.सं.	प्रकरण	पेज सं.
1	संख्या पद्धति	1
2	इकाई अंक और अंक योग	7
3	विभाज्यता	13
4	म.स. और ल.स.	21
5	सरलीकरण	33
6	करणी और घातांक	51
7	औसत	59
8	अनुपात और समानुपात:	69
9	आयु पर आधारित समस्याएँ	77
10	मिश्रण एवं पृथक्करण	83
11	साझेदारी	89
12	प्रतिशतता	93
13	लाभ और हानि	107
14	साधारण ब्याज	119
15	चक्रवृद्धि ब्याज	127
16	समय और कार्य	135
17	पाइप और टंकी	145
18	गति, समय और दूरी	149
19	नाव और धारा	157
20	बीजगणित	163
21	क्षेत्रमिति	181
22	ज्यामिति	191

GOVT EXAM WALLAH

हमारी अन्य पुस्तकें:

हमारे केंद्र:

लखनऊ	कोलकाता	पटना
प्रयागराज	आगरा	वाराणसी
जयपुर	इंदौर	रांची
दिल्ली	भोपाल	भुवनेश्वर
	सिलीगुड़ी	

₹279/-

PHYSICS WALLAH PUBLICATION

To Buy PW Books SCAN ME!

To share Feedback SCAN ME!

BIHAR Exams Wallah SCAN ME!

ISBN 978-93-6897-452-9

संपर्क करें: 7303699227 | www.pw.live

1b615e13-3c6d-4e56-9a74-3aa3d366a39e